भारत
निर्माण

भारत सरकार

भारत निर्माण

राज्य सरकारों एवं पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी से ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास हेतु भारत सरकार की एक समयबद्ध योजना

2005-2009

भारत सरकार

eqœd % ikjl vkWiQlSV çk- fy-] ubZ fnYyh

*"**भारत निर्माण** अगले 5 वर्षों में ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास हेतु कार्रवाई करने की एक समयबद्ध व्यावसायिक योजना होगी। भारत निर्माण के अंतर्गत सिंचाई, सड़क, ग्रामीण आवास, ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण दूर-संचार संपर्क जैसे क्षेत्रों में कार्रवाई प्रस्तावित है। हमने विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किये हैं जिन्हें इन सभी कार्यों के अंतर्गत हासिल किया जाएगा ताकि इस पहल की प्रगति में जबावदेही सुनिश्चित की जा सके।"*

– डॉ. मनमोहन सिंह
प्रधानमंत्री

भारत निर्माण : कार्य

- हरेक गांव को बिजली उपलब्ध कराना : सन् 2009 तक शेष 1,25,000 गांवों को बिजली उपलब्ध कराना तथा 2.3 करोड़ परिवारों को बिजली के कनेक्शन देना
- 1000 और उससे अधिक आबादी (पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में 500 की आबादी) वाली हरेक बसावट को बारह-मासी सड़कों से जोड़ना : सन् 2009 तक शेष 66,802 बसावटों को सड़कों से जोड़ना
- प्रत्येक बसावट को पेयजल का एक सुरक्षित स्रोत उपलब्ध कराना : सन् 2009 तक शेष 55,067 बसावटों को पेयजल के सुरक्षित स्रोत उपलब्ध कराना। इसके अतिरिक्त, जिन बसावटों में पेयजल स्रोत की विफलता के कारण पेयजल पूर्ण रूप से न होकर आंशिक रूप से ही उपलब्ध हो पाया है और जिन बसावटों में पेयजल की गुणवत्ता की समस्या है, उन सब पर भी ध्यान देना
- प्रत्येक गांव को टेलीफोन सुविधा से जोड़ना : नवम्बर, 2007 तक शेष 66,822 गांवों को टेलीफोन सेवा से जोड़ना
- सन् 2009 तक 1 djksM+ हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करना
- सन् 2009 तक गांवों में गरीबों के लिए 60 लाख मकानों का निर्माण करना

हालांकि, यह एजेण्डा नया नहीं है फिर भी प्रयास यह रहेगा कि इन लक्ष्यों को जल्दी हासिल करने की ललक पैदा की जाए तथा कार्यक्रम को समयबद्ध, पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाए। ग्रामीण बुनियादी ढांचे में इन निवेशों से ग्रामीण भारत में विकास की संभावनाओं के द्वार खुलेंगे।

1. विद्युत

लक्ष्य : हरेक गांव को बिजली उपलब्ध कराना : सन् 2009 तक शेष 1,25,000 गांवों को बिजली उपलब्ध कराना

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कार्यक्रम के जरिए शेष 1,25,000 गांवों को बिजली उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ऊर्जा मंत्रालय की है। इसके अतिरिक्त, यह **2.3** djksM+परिवारों को भी बिजली उपलब्ध कराएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार 1,25,000 गांव अभी भी बिजली से वंचित हैं।

- **बुनियादी ढांचे के घटक**

इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रत्येक ब्लाक में कम से कम 33/11 के.वी.क्षमता वाले उप-केन्द्र के साथ ग्रामीण विद्युत वितरण बैकबोन स्थापित किया जाएगा। ग्रामीण विद्युतीकरण के बुनियादी ढांचे के रूप में हरेक गांव अथवा बस्ती में कम से कम एक वितरण ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। जहां ग्रिड की सप्लाई संभव नहीं है वहां विद्युत उत्पादन के साथ एकल ग्रिड (स्टेंड-एलोन ग्रिड) लगाया जाएगा। ये एकल ग्रिड अपारम्परिक ऊर्जा मंत्रालय के साथ भागीदारी से स्थापित किए जाएंगे।

- **ग्रामीण विद्युतीकरण के मानदण्ड**

निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने पर ही किसी गांव को विद्युतीकृत समझा जाएगा।

-"वितरण ट्रांसफार्मर तथा वितरण लाइन जैसी बुनियादी ढांचागत सुविधा रिहायशी बस्ती तथा दलित बस्ती/मोहल्ले में उपलब्ध कराई गई हो। (अपरम्परागत ऊर्जा स्रोतों के जरिए विद्युतीकरण के लिए कोई वितरण ट्रांसफार्मर जरूरी नहीं है)

- स्कूलों, पंचायत कार्यालयों, स्वास्थ्य केन्द्रों, डिस्पेंसरियों, सामुदायिक केन्द्रों जैसे सार्वजनिक स्थानों के लिए बिजली उपलब्ध कराई गई हो, और

- जितने परिवारों का विद्युतीकरण किया गया हो उनकी संख्या गांव में कुल परिवारों की संख्या का कम से कम 10% होनी चाहिए"।

- **प्रबंधन**

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम कार्यान्वयन एजेंसी होगी।

ग्रामीण विद्युतीकरण के प्रबंधन में प्रयोगकर्ता संघों, वैयक्तिक उद्यमियों, सहकारी संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों, पंचायत संस्थाओं शामिल किया जा सकता है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एन.टी.पी.सी.), पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पी.जी.सी.आई.एल.), नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एन.एच.पी.सी.) और दामोदर वैली निगम (डी.वी.सी.) जैसे केन्द्र सरकार के उपक्रमों की सेवाओं को ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं के निष्पादन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों को हरेक राज्य में जिले आबंटित किए गए हैं जहां वे ग्रामीण विद्युतीकरण नेटवर्क का क्रियान्वयन करेंगे।

- **वित्त**

योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं की समग्र लागत के लिए 90% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। योजना के तहत पात्र परियोजनाओं के लिए पूंजीगत सब्सिडी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड जो नोडल एजेंसी होगी, के जरिए दी जाएगी। सभी ग्रामीण बसावटों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले बिजली से वंचित परिवारों को बिजली उपलब्ध कराने हेत 1500 रुपए प्रति कनेक्शन के लिए शत-प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। अन्य लोग कनेक्शन के लिए निर्धारित शुल्क अदा करेंगे और कोई भी सब्सिडी नहीं दी जाएगी।

- **प्राथमिकता निर्धारण**

ग्रामीण विद्युतीकरण के आधारभूत ढांचे के सृजन के लिए पहली प्राथमिकता बिजली से वंचित गांवों को दी जाएगी। इसमें दलित बस्तियों, आदिवासी बस्तियों और कमजोर वर्गों की बसावटों के विद्युतीकरण को तरजीह दी जाएगी।

ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु राज्यवार लक्ष्य

क्र. सं.	राज्य	1991 की जनगणना के अनुसार बसावट गांवों की कुल संख्या	विद्युतीकृत गांवों की कुल संख्या	विद्युत से वंचित शेष गांव	विद्युतीकृत गांवों का प्रतिशत
1	आन्ध्र प्रदेश	26586	26565	(21)$	100
2.	अरूणाचल प्रदेश	3649	2335	1314	64
3.	असम	24685	19081	5604	77.30
4.	बिहार	38475	19251	19224	50
5.	झारखंड	29336	7641	21695	26
6.	गोवा	360	360	-	100
7.	गुजरात	18028	17940	(88)$	100
8.	हरियाणा	6759	6759	-	100
9.	हिमाचल प्रदेश	16997	16891	106	99.38
10	जम्मू व कश्मीर	6477	6301	176	97.28
11.	कर्नाटक	27066	26771	295	98.91
12.	केरल	1384	1384	-	100
13.	मध्य प्रदेश	51806	50474	1332	97.43
14.	छत्तीसगढ़	19720	18532	1188	94
15.	महाराष्ट्र	40412	40351	(61)$	100
16.	मणिपुर	2182	2043	139	93.63
17.	मेघालय	5484	3016	2468	55
18.	मिजोरम	698	691	7	99
19.	नागालैंड	1216	1216	-	100
20.	उड़ीसा	46989	37663	9326	80.15
21.	पंजाब	12428	12428	-	100
22.	राजस्थान	37889	37276	613	98.38
23.	सिक्किम	447	405	42	90.60
24.	तमिलनाडु	15822	15822	-	100
25.	त्रिपुरा	855	818	37	95.67
26.	उत्तर प्रदेश	97122	57042	40080	58.73
27.	उत्तरांचल	15681	13131	2550	83.73
28.	पश्चिम बंगाल	37910	31705	6205	83.63
	कुल (राज्य)	586463	47382	11241	80.80
	कुल संघ-शासित प्रदेश	1093	1090	(3)$	100%
	सम्पूर्ण भारत	587556	474982	112401	80.80%

$ शेष गांव विद्युतीकरण के लिए व्यवहार्य नहीं है।

* गांवों के विद्युतीकरण की नई परिभाषा के अनुसार (2004-05 से लागू) बिजली से वंचित गांवों की कुल संख्या लगभग 1,25,000 है।

स्रोतः विद्युत मंत्रालय

2. सड़कें

लक्ष्यः 1000 और उससे अधिक आबादी (पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में 500 की आबादी) वाली हरेक बसावट को बारह-मासी सड़कों से जोड़ना : सन् 2009 तक शेष 66,802 बसावटों को सड़कों से जोड़ना

ग्रामीण विकास मंत्रालय का दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि 1000 से ऊपर की आबादी वाली हरेक बसावट और पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में 500 से अधिक की आबादी वाली प्रत्येक बसावट को सन् 2009 तक बारह-मासी सड़कों से जोड़ा जाए। इससे गांवों के उत्पादनों का बाजार और सेवाओं से जुड़ने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर कई गुना प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सन् 2000 से किये जा रहे इस कार्य को संशोधित किया गया है ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर उपर्युक्त लक्ष्यों को हासिल किया जा सके।

- **कार्य का आकार**

भारत निर्माण के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सन् 2009 तक 1,46,185 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव है। इससे देश में अब तक सड़कों से वंचित 66,802 पात्र बसावटों को लाभ होगा। खेतों को बाजार से पूर्णतया जोड़ने के लिए मौजूदा *एसोशिएटेड थ्रू रूट्स* की 1,94,132 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन किए जाने का भी प्रस्ताव है।

- **प्रबंधन**

एक जिला एवं ग्रामीण सड़क योजना तैयार की गई है जिसमें जिले की सभी सड़कों का पूरा नेटवर्क दिया गया है जिसके अंतर्गत ग्रामीण सड़कें, जिले की बड़ी सड़कें, राज्य सड़कें तथा राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं। कोर नेटवर्क की संकल्पना को अमल में लाया गया है ताकि उन सड़कों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके जिन्हें वांछित आकार की सभी बसावटों से जोड़ने के लिए अनिवार्य समझा गया है। यह कोर नेटवर्क निर्माण कार्य की प्राथमिकता निर्धारित करने तथा रखरखाव हेतु निधि के आबंटन के लिए बुनियादी जरूरत है। कोर नेटवर्क की उपयोगिता को और बढ़ाने हेतु जी.आई.एस. आधारित अनुप्रयोगों के विकास के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।

यह कार्यक्रम कई परामर्शों के जरिए कार्यान्वित किया जाता है जिसमें पंचायत स्तर से लेकर संसद तक के जन प्रतिनिधि शामिल रहते हैं। ग्रामीण सड़क मैनुअल, कार्यक्रम के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करता है। एक अलग विनिर्देशन पुस्तिका तथा मानक आंकड़ा पुस्तिका तैयार की गई है। इसके अनुसार, राज्यों द्वारा मानक बोली दस्तावेजों को अपनाया जाना है। एम.आई.एस. के लिए कंप्यूटरीकृत ऑनलाइन मैनेजमेंट तथा मानीटरिंग अकाउन्टिंग सिस्टम उपलब्ध है।

- **वित्त**

इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए लगभग 48,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम की शत-प्रतिशत निधि केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है।

- **किए गए कार्य**

अभी तक 27,059 सड़क कार्य जिसमें 76,566 कि.मी. सड़कें शामिल हैं, पूरा कर लिया गया है और इससे 36,659 बसावटों को लाभ मिल रहा है।

भारत निर्माण : बसावटों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	बसावट		कुल
		1000+	500-999	
1	आन्ध्र प्रदेश	0	0	0
2.	अरूणाचल प्रदेश	92	206	298
3.	असम	5182	3950	9132
4.	बिहार	9956	0	9956
5.	छत्तीसगढ़	1848	4461	6309
6.	गोवा	0	0	0
7.	गुजरात	0	978	978
8.	हरियाणा	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	138	487	625
10	जम्मू व कश्मीर	614	854	1468
11.	झारखंड	1894	1983	3877
12.	कर्नाटक	0	0	0
13.	केरल	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	4303	3529	7832
15.	महाराष्ट्र	0	0	0
16.	मणिपुर	71	110	181
17.	मेघालय	36	119	155
18.	मिजोरम	24	109	133
19.	नागालैंड	9	31	40
20.	उड़ीसा	2312	2135	4447
21.	पंजाब	0	0	0
22.	राजस्थान	30	3922	3952
23.	सिक्किम	6	114	120
24.	तमिलनाडु	0	0	0
25.	त्रिपुरा	175	635	810
26.	उत्तर प्रदेश	3738	1164	4902
27.	उत्तरांचल	76	637	713
28.	पश्चिम बंगाल	9932	942	10874
	कुल	**40436**	**26366**	**66802**

स्रोतः ग्रामीण विकास मंत्रालय

भारत निर्माण : उन्नयन हेतु भौतिक लक्ष्य

(लम्बाई कि.मी. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2005-06 लम्बाई	2006-07 लम्बाई	2007-08 लम्बाई	2008-09 लम्बाई	कुल लम्बाई
1	आन्ध्र प्रदेश	1821.494	2258.652	2258.652	2258.652	8597.45
2	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
3	असम	0	2005.71	2269.808	2219.843	6495.361
4	बिहार	0	2393.617	3510.638	3390.958	9295.213
5	छत्तीसगढ़	0	1986.063	3240.418	3222.996	8449.477
6	गोवा	190.114	190.114	190.114	190.114	760.456
7	गुजरात	0	1557.971	1557.971	1413.043	4528.985
8	हरियाणा	229.358	1146.789	1146.789	1238.532	3761.468
9	हिमाचल प्रदेश	0	1515.923	1694.268	1503.185	4713.376
10	जम्मू व कश्मीर	0	1007.584	920.91	1007.584	2936.078
11	झारखंड	0	2108.433	2123.494	1987.952	6219.879
12	कर्नाटक	2573.529	2573.529	2573.529	2573.529	10294.12
13	केरल	524.109	628.931	524.109	524.109	2201.258
14	मध्य प्रदेश	0	5189.543	6614.379	6823.53	18627.45
15	महाराष्ट्र	4334.365	4334.365	4334.365	4334.365	17337.46
16	मणिपुर	0	0	0	0	0
17	मेघालय	0	587.583	587.583	665.189	1840.355
18	मिजोरम	0	257.998	257.998	216.718	732.714
19	नागालैंड	0	246.914	246.914	370.371	864.199
20	उड़ीसा	0	4438.574	4663.144	5059.445	14161.16
21	पंजाब	423.729	1483.051	1483.051	1680.791	5070.622
22	राजस्थान	0	4764.543	4653.74	3656.51	13074.79
23	सिक्किम	0	196.85	137.795	98.425	433.07
24	तमिलनाडु	1297.71	2824.427	2824.427	4167.939	11114.5
25	त्रिपुरा	0	373.737	383.838	414.141	1171.716
26	उत्तर प्रदेश	0	7158.962	6956.031	14408.12	28523.11
27	उत्तरांचल	0	889.454	1283.354	1270.648	3443.456
28	पश्चिम बंगाल	0	2549.942	2878.965	4054.053	9482.96
	कुल	**11394.41**	**54669.26**	**59316.28**	**68750.74**	**194130.7**

स्रोतः ग्रामीण विकास मंत्रालय

भारत निर्माण - नई कनेक्टिविटी के भौतिक लक्ष्य

(लम्बाई कि.मी. में, बसावट संख्याओं में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09		योग	
		लम्बाई	बसावटें	लम्बाई	बसावटें	लम्बाई	बसावटें	लम्बाई	बसावटें	लम्बाई	बसावटें
1	आन्ध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	अरूणाचल प्रदेश	162.5	22	637.5	85	646.875	86	671.875	105	2118.75	298
3	असम	605.852	421	2864.063	1988	3889.845	2701	5793.46	4022	13153.22	9132
4	बिहार	1665.831	896	3928.75	2062	6121.425	3214	7230.306	3784	18946.31	9956
5	छत्तीसगढ़	1501.365	478	4367.606	1310	6450.644	2007	8255.181	2514	20574.8	6309
6	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	गुजरात	402.955	230	429.723	246	438.675	251	438.675	251	1710.028	978
8	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	464.583	127	795.833	209	638.542	166	479.167	123	2378.125	625
10	जम्मू व कश्मीर	169.972	57	1059.49	352	1781.869	593	1405.099	466	4416.43	1468
11	झारखंड	1051.779	526	2594.39	1295	1812.298	901	2319.31	1155	7777.777	3877
12	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	मध्य प्रदेश	2602.139	768	6162.451	1760	8326.848	2399	10470.17	2905	27561.61	7832
15	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	मणिपुर	100	11	460.714	48	464.286	48	719.048	74	1744.048	181
17	मेघालय	123.609	35	135.971	39	140.091	40	144.211	41	543.882	155
18	मिजोरम	82.746	12	274.819	39	277.884	39	306.498	43	941.947	133
19	नागालैंड	93.318	9	104.529	10	109.507	10	114.485	11	421.839	40
20	उड़ीसा	1055.95	493	1985.609	874	2524.021	1087	4427.774	1993	9993.354	4447
21	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	राजस्थान	2153.615	743	3629.519	1252	3554.217	1225	2123.494	732	11460.85	3952
23	सिक्किम	75.031	22	104.042	30	108.043	31	132.053	37	419.169	120
24	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	त्रिपुरा	94.774	66	261.74	183	354.701	248	447.661	313	1158.876	810
26	उत्तर प्रदेश	1966.416	1236	2390.632	1504	2059.213	1295	1378.701	867	7794.962	4902
27	उत्तरांचल	380.609	95	422.008	106	1025.641	257	1020.299	255	2848.557	713
28	पश्चिम बंगाल	739.378	787	2572.767	2738	3265.307	3473	3643.359	3876	10220.81	10874
	कुल	**15492.42**	**7034**	**35182.16**	**16130**	**43989.93**	**20071**	**51520.83**	**23567**	**146185.3**	**66802**

स्रोतः ग्रामीण विकास मंत्रालय

3. पेयजल

लक्ष्यः प्रत्येक बसावट को पेयजल का एक सुरक्षित स्त्रोत उपलब्ध कराना: सन् 2009 तक शेष 55,067 बसावटों को पेयजल के सुरक्षित स्त्रोत उपलब्ध कराना। इसके अतिरिक्त, जिन बसावटों में पेयजल स्त्रोत की विफलता के कारण पेयजल पूर्ण रूप से न होकर आंशिक रूप से ही उपलब्ध हो पाया है और जिन बसावटों में पेयजल की गुणवत्ता की समस्या है, उन सब पर भी ध्यान देना।

ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा पेयजल आपूर्ति विभाग, राज्य सरकारों की भागीदारी से इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उत्तरदायी है। भारत सरकार का यह कार्यक्रम, त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम की केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है जो वर्ष 1972-73 से चल रही है और जिसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा 50-50 प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था की जाती है। वर्ष 1972 से लेकर अब तक देश में 15 लाख से भी अधिक बसावटों में सुरक्षित पेयजल पहुंचाने के लिए 37 लाख से भी अधिक हैंडपंप तथा 1.5 लाख पाइप जलापूर्ति प्रणालियां स्थापित की जा चुकी हैं जिस पर 50,000 करोड़ रुपये से भी अधिक की लागत आई है।

- **कवरेज संबंधी मानदण्ड**

- लोगों के लिए 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सुरक्षित पेयजल
- मरुस्थल विकास कार्यक्रम क्षेत्रों में पशुओं के लिए 30 लीटर प्रति पशु प्रतिदिन अतिरिक्त जल।
- प्रत्येक 250 व्यक्तियों के लिए एक हैंडपंप अथवा स्टैंड पोस्ट।
- मैदानी क्षेत्रों में जल स्त्रोत 1.6 किलोमीटर के भीतर और पर्वतीय क्षेत्रों में 100 मीटर की ऊंचाई के अंदर होना चाहिए।

- **मौजूदा बैकलॉग**

बैकलॉग को कवर करने का आकलन किया जा रहा है जो पेयजल सुविधा से वंचित गांवों, आंशिक रूप से कवर हो चुके गांवों तथा जल की गुणवत्ता की समस्या से प्रभावित गांवों की श्रेणियों के रूप में बसावटों के सर्वेक्षण पर आधारित है। 55,067 गांव अभी तक पेयजल सुविधा से वंचित हैं और उनमें पहली प्राथमिकता के रूप में पेयजल की व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना आयोग द्वारा 10वीं योजना के प्रारंभ में किए गए आकलन के अनुसार आंशिक रूप से पेयजल व्यवस्था वाली बसावटों की संख्या 2.8 लाख है। यह संख्या निम्नलिखित कई कारणों की वजह से है:

- सूखते जा रहे जल स्त्रोत अथवा भूजल-स्तर का घटते जाना।
- गुणवत्ता से प्रभावित हो रहे स्त्रोत

- पुरानी हो चुकी जल प्रणालियां।
- सही संचालन और अनुरक्षण के अभाव में निर्धारित क्षमता से नीचे कार्य कर रही प्रणालियां।
- बढ़ती जनसंख्या के कारण कम होती जा रही जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता।
- नई-नई बसावटों का उभरना।

वर्ष 2000 में किए गए एक सर्वेक्षण के आधार पर राज्य सरकारों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 2,16,968 बसावटें जल की गुणंवत्ता सबधी कई तरह की ंसमस्याओ से प्रभावित हैं जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है:

फ्लोराइड की अधिकताः 31,306; आर्सेनिक की अधिकताः 5029; लवण की अधिकताः 23,495; लौह तत्व की अधिकताः 1,18,088; नाईट्रेट की अधिकताः 13,958 तथा गुणवत्ता संबंधी कई तरह की समस्याएंः 25,092।

भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि भारत निर्माण के तहत भारत सरकार से निधि प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों को बसावटों के नाम उपलब्ध कराने होंगे। इससे इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक पारदर्शिता आएगी। राज्य सरकारों को पेयजल व्यवस्था मुहैया कराने के लिए प्रस्तावित बसावटों तथा उन बसावटों का जहां पेयजल की व्यवस्था हो चुकी है, विवरण समय-समय पर इस वेबसाइट पर उपलब्ध कराना होगा।

- **वित्त**

इस योजना के लिए भारत सरकार द्वारा 50 प्रतिशत के आधार पर धन की व्यवस्था की जाती है। चालू वर्ष में 4050 करोड़ रूपये के व्यय का अनुमान है। राज्य सरकारों द्वारा दिए गए बसावटों के नामों के आधार पर वास्तविक जरूरत का हिसाब लगाया जाएैगा आर`उसक लिए धन की व्यवस्था की जाएगी।

कवर न की गई शेष बसावटों की स्थिति

क्र.स	राज्य/संघ-शासित	1.4.2005 को बसावटों की स्थिति		
		कवर न की गई	कवर की गई	कुल
1	आन्ध्र प्रदेश	0	0	0
2	अरूणाचल प्रदेश	158	510	668
3	असम	238	7137	7375
4	बिहार	0	0	0
5	छत्तीसगढ़	0	0	0
6	गोवा	0	6	6
7	गुजरात	0	36	36
8	हरियाणा	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश*	0	6891	6891
10	जम्मू व कश्मीर*	660	2551	3211
11	झारखंड	0	0	0
12	कर्नाटक	0	5618	5618
13	केरल*	0	7573	7573
14	मध्य प्रदेश	0	0	0
15	महाराष्ट्र	327	17411	17738
16	मणिपुर	0	0	0
17	मेघालय	12	239	251
18	मिजोरम*	0	112	112
19	नागालैंड*	41	690	731
20	उड़ीसा	0	0	0
21	पंजाब	803	1128	1931
22	राजस्थान	2300	0	2300
23	सिक्किम	0	74	74
24	तमिलनाडु	0	0	0
25	त्रिपुरा	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	0	0	0
27	उत्तरांचल	30	242	272
28	पश्चिम बंगाल	0	0	0
29	अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह*	0	102	102
30	दादरा और नगर हवेली*	19	41	60
31	दमण एवं दीव	0	0	0
32	दिल्ली	0	0	0
33	लक्षद्वीप*	0	10	10
34	पांडिचेरी	0	108	108
35	चण्डीगढ़	0	0	0
	कुल	4588	50479	55067

स्रोतःपेयजल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय

टिप्पणी1 : * से चिंह्नित किए गए राज्यों/संघ-शासित प्रदेशों ने ही 1.4.2005 को बसावटों की स्थिति के आंकड़े भेजे हैं। शेष राज्यों/संघ-शासित प्रदेशों के लिए बसावटों की स्थिति के आंकड़े 1.11.2004 के हैं।

4. टेलीफोन

लक्ष्य : प्रत्येक गांव को टेलीफोन सुविधा से जोड़ना : नवम्बर, 2007 तक शेष 66,822 गांवों को टेलीफोन सेवा से जोड़ना

संचार और सचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में दरसंचारू विभाग की जिम्मेदारी शेष 66,822 गांवों को टेलीफोन सुविधा से जोड़ना है।

- **वर्तमान स्थिति**

टेलीफोन सेवा से वंचित गांवों, सेटेलाइट तथा अन्य टेक्नोलॉजी के आधार पर उपलब्ध किए जाने वाले कराए गए ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वी.पी.टी.) की संख्या और 30 सितम्बर, 2005 तक उपलब्ध ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन की संख्या दर्शाने वाला विवरण निम्न प्रकार है:

क्र. सं.	सेवा क्षेत्र का नाम	टेलीफोन सेवा से वंचित गांवों की कुल संख्या	सेटेलाइट टेक्नोलॉजी पर उपलब्ध किए जाने वाले वी.पी.टी.	अन्य टेक्नोलॉजी पर उपलब्ध किए जाने वाले वी.पी.टी.	30.09.05 तक उपलब्ध वी.पी.टी.
1.	आंध्रप्रदेश	1074	115	959	208
2.	असम	8931	279	8652	1976
3.	झारखंड	1694	1694	0	30
4.	गुजरात	4144	0	4144	1657
5.	हिमाचल प्रदेश	1002	275	727	234
6.	जम्मू व कश्मीर	1755	465	1290	206
7.	मध्य प्रदेश	11894	443	11451	3454
8.	छत्तीसगढ़	5043	88	4955	675
9.	महाराष्ट्र	6441	496	5945	1844
10.	पूर्वोत्तर-1	2128	578	1550	76
11.	पूर्वोत्तर-2	1550	1289	261	30
12.	उड़ीसा	4899	4899	0	0
13.	राजस्थान	12386	18	12368	2493
14.	उत्तरांचल	3881	3544	337	195
	कुल	66822	14183	52639	13078

स्रोतः दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

• निधियां

सार्वभौम सेवा दायित्व के क्रियान्वयन के लिए संसाधनों को सार्वभौम सेवा-कर के जरिए जुटाया जाता है जिसे इस समय सभी दूरसंचार सेवा-प्रदायकों के समायोजित सकल राजस्व का 5 प्रतिशत नियत किया गया है। इनमें इंटरनेट, वॉइस-मेल, ई-मेल सेवा-प्रदायकों जैसे विशुद्ध मूल्य वर्धित सेवा-प्रदायक शामिल नहीं हैं। इन नियमों में केन्द्र सरकार के लिए इस निधि में अनुदान और ऋण प्रदान करने का भी प्रावधान है। इस निधि में जमा शेष वित्तीय वर्ष के अंत में कालातीत नहीं होता।

यू.एस.ओ. फंड से खुली निविदा के जरिए बोली के आधार पर ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने का कार्य सौंपा जाता है और इस मामले में यह कार्य भारत संचार निगम लिमिटेड को सौंपा गया है। पहचान किए गए 66,822 गांवों में से, 14,183 दुर्गम तथा दूर-दराज के गांवों को डिजिटल सैटेलाइट फोन टर्मिनलों के जरिए टेलीफोन सुविधा से जोड़ा जाएगा। यू.एस.ओ.फंड से पूंजीगत व्यय के साथ-साथ प्रचालन व्यय के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। यह अनुमान लगाया गया है कि इन 66,822 गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलिफोन उपलब्ध कराने के लिए यू.एस.ओं.फड से कुल 451 करोड़ रूपए की जरूरत होगी और सरकार से अलग से किसी आबंटन की आवश्यकता नहीं होगी।

• अतिरिक्त प्रोत्साहन

दूरसंचार सेवा-प्रदायकों को निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच बनाने के लिए यू.एस.ओ.फंड के जरिए सहायता दी जा रही है:

- मौजूदा ग्रामीण सार्वजनिक टेलिफोनों का रखरखाव।
- उन गांवों में जहां की आबादी दो हजार से अधिक है और जहां कोई सार्वजनिक टेलीफोन आफिस नहीं है, वहां एक अतिरिक्त ग्रामीण सामुदायिक टेलीफोन की व्यवस्था।
- मल्टी एक्सेस रेडियो रिले (एम.ए.आर.आर.)प्रौद्योगिकी पर स्थापित ग्रामीण सार्वजनिक टेलिफोनों को हटाना।
- विशिष्ट ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में स्थापित टेलिफोन लाईन।

• गांवों में बढ़ती टेलिफोन सघनता

भारत निर्माण की अवधि के दौरान गांवों में टेलिफोन सघनता में महत्वपूर्ण वृद्धि की जाएगी।

• ज्ञान संपर्क

सरकार विभिन्न उपायों के जरिए ग्रामीण संपर्क के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है ताकि ग्रामीण उपयोगकर्ताओं को महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हो सकें और वे अपना कार्य-व्यापार कर सकें। इसमें ब्लाक मुख्यालयों को फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क से जोड़ा जाएगा जिसमें वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि नागरिकों, पंचायतों, नागरिक संगठनों, निजी क्षेत्र तथा सरकार की सहभागिता से कनेक्टिविटी का अंतिम लक्ष्य हासिल किया जा सके और इनफारमेशन कियोस्क चलाए जा सकें।

V. सिंचाई

लक्ष्य: सन् 2009 तक एक करोड़ हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करना

जल संसाधन मंत्रालय, राज्य सरकारों के सहयोग से भूजल विकास द्वारा और बड़ी, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं के जरिए वर्ष 2009 तक एक करोड़ हेक्टेयर सिंचाई की अतिरिक्त क्षमता के सृजन के लिए उत्तरदायी है।

• वर्तमान स्थिति

देश के लिए अधिकतम सिंचाई क्षमता 13.98 करोड़ हेक्टेयर आंकी गई है जिसमें बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की क्षमता (5.84 करोड़ हेक्टेयर), सतह जल पर आधारित लघु सिंचाई योजनाओं की क्षमता (1.74 करोड़ हेक्टेयर) और भूजल विकास की क्षमता (6.4 करोड़ हेक्टेयर) शामिल है। अब तक, 9.93 करोड़ हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन किया जा चुका है। तथापि, सृजित क्षमता का पूर्णरूप से उपयोग नहीं किया गया है। इसप्रकार, सृजित की गई तथा इस्तेमाल मे लाई गई क्षमता के बीच 14 मिलियन हेक्टेयर का अंतर आंका गया है।

(क) बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

कुल मिलाकर देश में बड़ी और मध्यम परियोजनाओं की 66% सिंचाई क्षमता का सृजन किया जा चुका है। 338 बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं, जो नौंवी योजना से पहले अथवा इसके दौरान प्रारम्भ की गई थीं, अब भी चल रही हैं जिनके फलस्वरूप, 1.21 करोड़ हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन होगा। इसके अतिरिक्त, राज्यों ने दसवीं योजना के दौरान 204 बड़ी और मध्यम परियोजनाओं का प्रस्ताव किया है जिससे 49 लाख हेक्टेयर क्षमता का सृजन होने की आशा है।

अब तक, 173 बड़ी और मध्यम, 4169 लघु और 21 विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण परियोजनाओं को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय ऋण सहायता प्रदान की गई है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत सहायता प्राप्त परियोजनाओं के जरिए सृजित क्षमता 3.5 लाख हेक्टेयर प्रति वर्ष पाई गई 4.7 लाख हेक्टेयर प्रति वर्ष पाई गई। मौजूदा योजना के अनुसार, दसवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के जरिए प्रतिवर्ष 5 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित करने का अनुमान लगाया गया है।

वर्ष 1951 से 1997 तक बड़ी और मध्यम परियोजनाओं के जरिए सिंचाई क्षमता के सृजन की औसत दर 5.1 लाख हेक्टेयर प्रतिवर्ष पाई गई है। वर्ष 1997 से 2005 के दौरान सृजन की दर 9.2 लाख हेक्टेयर प्रतिवर्ष पाई गई है। हाल ही में बड़ी और मध्यम परियोजनाओं के जरिए नई सिंचाई क्षमता के सृजन की गति में तेजी आई है। यह शायद परियोजनाओं के काफी जल्दी प्रारम्भ होने का परिणाम है जो त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के जरिए सहायता में वृद्धि के कारण हुआ है।

जिस प्रकार की व्यवस्था के तहत वर्तमान में चल रही बड़ी और मध्यम योजनाओं को पूरा किया जा रहा है, ठीक उसी तरह की व्यवस्था के तहत बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाओं के विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण की परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। कमान्ड एरिया डेवलपमेन्ट और जल प्रबंधन के साथ-साथ विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण की परियोजनाओं के कार्यान्वयन से सृजित की गई सुविधाओं को बरकरार रखने और उपयोगिता में सुधार लाने में मदद मिलती है।

(ख) लघु सिंचाई योजनाएं

राज्यों के बीच लघु सिंचाई (सतह जल और भूजल दोनों) योजनाओं के माध्यम से सिंचाई क्षमता सृजित करने में काफी अंतर है। कुछ राज्यों में लघु सिंचाई के माध्यम से इस क्षमता का पूरा इस्तेमाल किया गया है, जबकि अन्य राज्यों में इसका अपेक्षाकृत बहुत ही कम उपयोग हुआ है।

सतह जल के माध्यम से लघु सिंचाई के अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से भी कम कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्र सहित जल संसाधन(तालाब और छोटे जलाशय)आते हैं। अब तक सतह जल पर आधारित लघु सिंचाई योजनाओं के जरिए अधिकतम क्षमता का लगभग 70 प्रतिशत सृजित किया जा चुका है। राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास आयोग की रिपोर्ट में इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है कि चूंकि समय के साथ-साथ विभिन्न कारणों से तालाबों की वहन क्षमता में कमी आई है, इसलिए तालाबों तथा अन्य स्थानीय स्त्रोतों की मरम्मत तथा नवीकरण के कार्य को प्राथमिकता देनी होगी।

"कृषि से सीधे तौर पर जुड़े जल स्त्रोतों की मरम्मत और नवीकरण के लिए" सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 से देश के 16 जिलों में राज्य-क्षेत्र की योजना के तौर पर एक प्रायोगिक योजना चलाई गई है, जिसका विस्तार किया जाना प्रस्तावित है।

(ग) भूजल विकास

भूजल की उपलब्धता और स्थिति के आंकलन के लिए किए गए सर्वेक्षण से, केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने अति-दोहित क्षेत्रों (जहां दोहन, भूजल के प्राकृतिक पुनर्भरण से अधिक किया गया है) और "क्रिटिल अथवा डार्क" क्षेत्रों (जहां भूजल के प्राकृतिक पुनर्भरण का स्वरूप 70% से 100% के बीच है)की पहचान की है । हाल ही में किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि पहचान की गई 7414 इकाइयों (ब्लॉक/तालुक/जलाशय)में से, 471 "अति-दोहित" हैं जबकि 318 "क्रिटिकल अथवा डार्क" इकाइयां के रूप में हैं। इसप्रकार कुल इकाइयों का 11% से भी कम "अति-दोहित" और "क्रिटिकल" श्रेणी में आता है। अंतत्वोगत्वा सृजित की जाने वाली सिंचाई क्षमता, घरेलू और औद्योगिक इस्तेमाल (लगभग 10%) का पूरी तरह आकलन करने के बाद पुनर्भराव योग्य भूजल के मूल्यांकन पर आधारिक होता है। यह आकलन किया गया है कि देश के कई भागों में, खासकर देश के पूर्वी हिस्सों में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तथा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं जम्मू व कश्मीर के खास हिस्सों में इस्तेमाल के लिए भूजल अभी भी उपलब्ध है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु में पुनर्भराव योग्य भूजल की मात्रा बढ़ी है और स्थाई जलाशयों को गहरा करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इससे जल के पुनर्भराव में वृद्धि करने और संरक्षण के लिए तत्काल उपाय करने की जरूरत को बल मिलेगा।

- **भारत निर्माण के तहत लक्ष्य**

क्र.सं.	घटक	लक्ष्य
1	चल रही बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करना	42 लाख है.
2	लघु सिंचाई योजनाएं	28 लाख है.
	• सतह जल	10 लाख
	• भूमि जल	18 लाख
3	पूरी हो चुकी परियोजनाओं के इस्तेमाल को बढाना	20 लाख
	• बड़ी और मध्यम परियोजनाओं का विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण	10 लाख
	• जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और सुधार/लघु सिंचाई योजनाओं का विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण	10 लाख हेक्टेयर
4	अप्रयुक्त भूमि जल क्षमता वाले क्षेत्रों में भूमि जल विकास(लघु और सीमांत किसानों तथा आदिवासियों व दलितों के लाभ के लिए)[1]	10 लाख हेक्टेयर

1 अप्रयुक्त भूमि जल क्षमता वाले क्षेत्रों में भूमि जल विकास के जरिये 10 लाख हेक्टेयर की क्षमता के सृजन से लघु और सीमांत किसानों जो अधिकत्तर आदिवासी, दलित और समाज के कमजोर वर्ग हैं, को प्रमुख रूप से लाभ मिलेगा। स्कीम के तहत योजनाओं के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की पूर्ण भागीदारी की व्यवस्था है।

6. आवास

लक्ष्य : सन् 2009 तक गांवों में गरीबों के लिए 60 लाख मकानों का निर्माण करना

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा यह कार्य इंदिरा आवास योजना के माध्यम से एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में चलाया जाता है जिसका खर्च केन्द्र और राज्यों द्वारा 75:25 के अनुपात में वहन किया जाता है।

- **कार्य**

वर्ष 2001 की जनगणना का आंकड़ा दर्शाता है कि भारत में ग्रामीण आवास की कमी लगभग 149 लाख है। देशभर में अगले चार वर्षों में 60 लाख मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है जिसके लिए वर्ष 2005-06 से शुरूआत की गई है ताकि बैकलॉग का काफी बड़ा हिस्सा पूरा किया जा सके।

- **मानदण्ड**

राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के बीच वित्तीय संसाधनों के आबंटन के लिए अपनाए गए मानदण्ड में उन राज्यों पर अधिक जोर दिया जाता है जहां आवास की कमी के अधिक मामले हैं। आवास की कमी को 75% और गरीबी के अनुपात को 25% महत्व दिया जाता है जो कि राज्य-स्तरीय आंबटनों के लिए योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। जिला-स्तरीय आबंटनों के लिए, आवास की कमी को 75% और संबंधित जिलों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी को 25% महत्व दिया जाता है। सामान्य क्षेत्रों के लिए प्रति मकान 25,000 रूपये तथा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए प्रति मकान 27,500 रूपये तक अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों(डीआरडीए) को दो किश्तों में धनराशि जारी की जाती है।

- **प्राथमिकता निर्धारण**

योजना के कार्यान्वयन संबंधी दिशानिर्देशों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों को विशेष रूप से लक्ष्य बनाया गया है। संबंधित ग्रामसभा, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की सूची से लाभार्थियों का चयन करती है और इसके लिए ऊंचे स्तर पर अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं होती। दिशानिर्देशों में यह भी विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि घर के आबंटन में परिवार की महिला सदस्य के नाम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस योजना में शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं और मुक्त कराये गए/ बंधुआ मजदूरों को भी प्राथमिकता दी गई है। यह भी व्यवस्था की गई है कि कम से कम 60% लाभार्थी, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदायों से होने चाहिए। इंदिरा आवास योजना में भी स्वच्छता और स्वास्थ्य पर जोर दिया गया है जिसके लिए izR;sdमकान के निर्माण/उन्नयन के लिए लाभार्थी को दिए जाने वाले अनुदान में भी शामिल किया गया है।